

23.01.18 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के दोनों सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अगिल्लेय दिनांक 13.02.18 को रखें। अनु० २०५१

03.01

13.02.18 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के दोनों सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अगिल्लेय दिनांक 20.02.18 को रखें। अनु० २०५१

22.03.

20.02.18 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के दोनों सदस्य उपस्थित हैं। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अगिल्लेय दिनांक 13.03.18 को रखें। अनु० २०५१

04.17

13.03.18 अगिल्लेय उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के दोनों सदस्य के द्वारा इजिरी प्रस्तुत किया गया है। अनु० २०५१

More than six months have elapsed since initiation of proceedings. No cause to extend further. To be dropped.

13/03/18.